न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 44/2020

प्रार्थी :–

1. घीसाराम पुत्र सुरजाराम
   जाति–जाट, निवासी–जायल तहसील–जायल जिला–नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रामनारायण पुत्र गंगाराम जाति–माली, निवासी–जायल (नागौर)
2. छोटूराम पुत्र सुरजाराम
3. मदनलाल पुत्र सुरजाराम
4. माधाराम पुत्र सुरजाराम
5. रूकमा देवी पत्नि सुरजाराम
6. रामस्वरूप पुत्र सुरजाराम
7. सहदेवराम पुत्र सुरजाराम
   जातियान–जाट निवासीगण–जायल जिला–नागौर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. अधिवक्ता श्री आर.पी.बैदा अप्रार्थी संख्यां 2 से 7 की ओर से।
4. अप्रार्थी संख्या 8 स्वयं उपस्थित।

दिनांक : 29/6/2021

– : : आदेश : : –

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी सहखातेदारी का खेत खसरा नं. 3239/1412 रकबा 2.9380 हैक्टेयर के रूप में स्थित है। प्रार्थी अपने सहखातेदारी के खेत में वर्षो पुराने रास्ता जो कि खेत खसरा नं. 2839/1413 रकबा 0.6880 हैक्टैयर में से माफिक नजरी नक्शा के अनुसार चलते हुये आते–जाते तथा काश्त कसरण करते रहे है तथा प्रार्थी की रहवासी ढाणी भी बनी हुई। प्रार्थी के उक्त सहखातेदारी के खेत खसरा नं. 3239/1412 में आने

29/6/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

जाने हेतु अन्य कोई निकटतम तथा वैकल्पिक, कम दूरी का रास्ता नहीं है, जिसमें से आना जाना तथा कृषि कार्य कर सके। यही एक मात्र रास्ता है, जो माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी है। उक्त रास्ता 20 फुट चौड़ाई में माफिक नजरी नक्शानुसार रहता चला आया है, जो अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि में से है जिसमें से आना जाना नहीं करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मना कर दिया है, तथा उक्त वर्षो पुराने रास्ते का रोक दिया है। उक्त रास्ता बंद कर दिये जाने से प्रार्थी काश्त करसण, पशुधन आदि को खेत में लाना ले जाना तथा आवश्यक संसाधन नहीं ले जा सकता है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के सहखातेदारी के खेत, रहवासी ढाणी में आवागमन हेतु नहीं लगता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुसार सबसे निकटतम कटाणी रास्ते से काश्तकार/खातेदार के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा काश्तकार/खातेदार को रास्ते की आत्यान्तिक होने पर नियमानुसार डी.एल.सी. दर की 2 गुणा राशि पर दिये जाने का प्रावधान है।

अतः प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नं. 2839/1413 में से माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी 20 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत व घोषित किया जावे जिसके एवज में प्रार्थी नियमानुसार डी.एल. सी. दर के अनुसार देय प्रतिफल राशि का भुगतान करने हेतु सहमत है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 7 की ओर से वकील श्री आर.पी. बैंदा ने वकालातनामा पेश किया पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ ने पैरवी हेतु वकालातनामा तथा जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार जायल को प्रकरण हाजा में मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई।

3. हस्तगत प्रकरण में भू–अभिलेख मौका रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार जायल के जरिये पत्रांक 543 दिनांक 01.02.2021 प्राप्त हुई। जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

- प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है, तथा मौके पर आने जाने के लिए निशानात खसरा नं. 2893/1413 की पूर्वी सींव के पास मौजूद है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

- प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित व वांछित रास्ते की भूमि/स्थान पर पक्का निर्माण है। जिससे 45.05 फीट छोड़कर भूमि खाली है।
- प्रस्तावित रास्ते के लिए की दूरी 152 फीट लम्बाई व 20 फीट चौड़ाई है। जिसके लिए उपभोग में आने वाली भूमि 0.1744 हैक्टैयर होगी तथा प्रस्तावित डी.एल.सी. दर 84548/– रू. प्रति बीघा है, जिसके 14752रू. का दुगनी 29504/– रू. प्रतिकर राशि देय है।

4. हस्तगत प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील अप्रार्थी संख्या 2 से 7 ने जवाब नहीं देना चाहा जिसपर जवाब का अवसर दिनांक 09.02.2021 बंद किया गया। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरवी करते हुये वकील श्री दशरथसिंह राठौड़ ने जवाब/आपत्तियां पेश कर बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पूर्ण रूप से सही नहीं है, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 7 के खेत अलग–2 नींवा–सिंवा होकर स्थित है, जो कि खसरा नं. 3239/1412 का मूल खसरा नं. 1412 में स्थित रहता चला आ रहा है, जिसकी खातेदारी रामधन पुत्र दीपा कौम जाट के नाम होकर मुत्यु उपरान्त सम्वत 2036–39 की जमाबंदी अनुसार रिधकरण, सुरजाराम, जुवाराराम, खेराज पिता रामधन जाट के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 3432/16.09.2009 के द्वारा विभाजन होकर खसरा नं. 1412, 3235/1412, 3239/1412, हुये। इसी प्रकार खसरा नं. 1413 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के पुश्तैनी बढेर का खेत है से 2 खेत खसरा नं. 2839/1413 व 1413 बने। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 7 व खेराज के मूल खेत खसरा नं. 1412 जिसका सम्पूर्ण रकबा 32.03 बीघा में आने जाने के लिए रास्ता खसरा नं. 1413 की पूर्वी माठ के सहारे–2 होकर खसरा नं. 4806/4793 में प्रवेश कर खसरा नं. 4807/4793 की दक्षिणी माठ के सहारे–2 चलकर वर्तमान खसरा नं. 3235/1412 के दक्षिणी–पूर्वी कोने में प्रवेश कर खसरा नं. 1412, 3239/1412 में आवागमन का वर्षो से रहता आया है। इसी प्रकार खसरा नं. 1413 के पूर्वी तरफ वर्तमान में अभिमन्यु स्कूल संचालित हो रही है, जिसके चिपता पश्चिम की तरफ खसरा नं. 1413 में से होकर आज दिन भी आवागमन के रूप में बिना किसी बाधा, रूकावट के अन्य खातेदार काश्तकार भी रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग कर रहे है। इस प्रकार प्रार्थी का यह कहना गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से कभी कोई रास्ता प्रार्थी के आवागमन के लिए रहा हो। जहां से रास्ता प्रस्तावित किया गया है वहां पर अप्रार्थी संख्या 1 का वर्षो पुराना पक्का निर्माण होकर आवास है तथा पानीं का टांका भी बना हुआ है। इसी प्रकार प्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थी अपने सहखातेदारी खेत में रहवासी ढाणी बनाकर परिवार सहीत निवास कर रहा है तथा पशुधन, ट्रेक्टर, छकड़ा का उक्त

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

रास्ते से आवागमन है, सरासर गलत है, क्योंकि प्रार्थी ने जहां से रास्ता की याचना की है वहां से लेकर सड़क सीमा तक अप्रार्थी का मकान बना हुआ है, इसलिए रास्ता होने का प्रश्न ही नही उठता है। प्रार्थी के बंटवाड़े के मूल खसरा नं. 1412 के टूकड़े हो जाने तथा वर्तमान खसरा नं. 1412 के खातेदार खेराज पुत्र रामधनजो प्रार्थी के पिता सुरजाराम का सगा भाई के मध्य में आपसी मनमुटाव हो जाने पर प्रार्थी विधिक प्रावधानो की अनदेखी करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 को तंग व परेशान करने की नियत से अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि जो मुख्य राज्य मार्ग पर स्थित होकर करीब 25 लाख प्रतिबीघा की भूमि है में से रास्ता बनाकर अपनी भूमि को करोड़ो रूपये की कीमत की बनाने के लिए अपने खातेदारी भूमि में वैकल्पिक रास्ता होते हुये भी नये रास्ते की याचना की है, जो स्वीकार योग्य नही है। अतः प्रार्थना में वर्णित तथ्य, गलत, आधारहीन होने तथा वैकल्पिक रास्ता आवागमन होने के बावजूद अप्रार्थी को तंग व परेशान की नियत से पेश है किया है काबिले खारिज होने से खारिज किये जाने का निवेदन जवाब/आपत्ति में किया।

प्रकरण का अवलोकन किया, उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत है, जो कि संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) के तहत आते है तथा प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही (भू.अ. मौका रिपोर्ट व अप्रार्थीगण को सूचना) हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 2 से 7 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब/आपत्तियां पेश की जा चुकी है। इसी प्रकार प्रकरण में किसी प्रकार कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से वकुलाय की सहमति पर बहस अन्तिम हेतु तारीख पेशी नियत की गई।

5. बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज का पुनः दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी सहखातेदारी का खेत खसरा नं. 3239/1412 रकबा 2.9380 हैक्टेयर के रूप में स्थित है। प्रार्थी अपने सहखातेदारी के खेत में वर्षो पुराने रास्ता जो कि खेत खसरा नं. 2839/1413 रकबा 0.6880 हैक्टैयर में से माफिक नजरी नक्शा के अनुसार चलते हुये आते–जाते तथा काश्त कसरण करते रहे है तथा प्रार्थी की रहवासी ढाणी भी बनी हुई। प्रार्थी के उक्त सहखातेदारी के खेत खसरा नं. 3239/1412 में आने जाने हेतु अन्य कोई निकटतम तथा वैकल्पिक, कम दूरी का रास्ता नहीं है, जिसमें से आना जाना तथा कृषि कार्य कर सके। यही एक मात्र रास्ता है, जो माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी है। उक्त रास्ता 20 फुट चौड़ाई में माफिक नजरी नक्शानुसार रहता चला आया है, जो अप्रार्थीगण संख्या 1 की

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

खातेदारी भूमि में से है जिसमें से आना जाना नहीं करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मना कर दिया है, तथा उक्त वर्षो पुराने रास्ते को रोक दिया हैं। उक्त रास्ता बंद कर दिये जाने से प्रार्थी काश्त करसण, पशुधन आदि को खेत में लाना ले जाना तथा आवश्यक संसाधन नहीं ले जा सकता है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के सहखातेदारी के खेत, रहवासी ढाणी में आवागमन हेतु नहीं लगता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुसार सबसे निकटतम कटाणी रास्ते से काश्तकार/खातेदार के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा काश्तकार/खातेदार को रास्ते की आत्यान्तिक होने पर नियमानुसार डी.एल.सी. दर की 2 गुणा राशि पर दिये जाने का प्रावधान है। अतः प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नं. 2839/1413 में से माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी 20 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत व घोषित किया जावे जिसके एवज में प्रार्थी नियमानुसार डी.एल.सी. दर के अनुसार देय प्रतिफल राशि का भुगतान करने हेतु सहमत है, इस संबंध में मौका रिपोर्ट दिनांक 02.02.2021 में अप्रार्थी संख्या 2 से 7 ने सहमति व्यक्त की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जावे तथा रास्ता घोषित किया जावे।

6. बहस के दौरान वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान तथा वकील प्रार्थी द्वारा बहस में दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पूर्ण रूप से सही नहीं है, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 7 के खेत अलग–2 नींवा–सिंवा होकर स्थित है, खसरा नं. 1413 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के पुश्तैनी बढेर का खेत है से 2 खेत खसरा नं. 2839/1413 व 1413 बने। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 7 व खेराज के मूल खेत खसरा नं. 1412 जिसका सम्पूर्ण रकबा 32.03 बीघा में आने जाने के लिए रास्ता खसरा नं. 1413 की पूर्वी माठ के सहारे–2 होकर खसरा नं. 4806/4793 में प्रवेश कर खसरा नं. 4807/4793 की दक्षिणी माठ के सहारे–2 चलकर वर्तमान खसरा नं. 3235/1412 के दक्षिणी–पूर्वी कोने में प्रवेश कर खसरा नं. 1412, 3239/1412 में आवागमन का वर्षो से रहता आया है। खसरा नं. 1413 के पूर्वी तरफ वर्तमान में अभिमन्यु स्कूल संचालित हो रही है, जिसके चिपता पश्चिम की तरफ खसरा नं. 1413 में से होकर आज दिन भी आवागमन के रूप में बिना किसी बाधा, रूकावट के अन्य खातेदार काश्तकार भी रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग कर रहे है। प्रार्थी का यह

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

कहना गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से कभी कोई रास्ता प्रार्थी के आवागमन के लिए रहा हो। जहां से रास्ता प्रस्तावित किया गया है वहां पर अप्रार्थी संख्या 1 का वर्षो पुराना पक्का निर्माण होकर आवास है तथा पानीं का टांका भी बना हुआ है। प्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थी अपने सहखातेदारी खेत में रहवासी ढाणी बनाकर परिवार सहीत निवास कर रहा है तथा पशुधन, ट्रेक्टर, छकड़ा का उक्त रास्ते से आवागमन है, सरासर गलत है, क्योंकि प्रार्थी ने जहां से रास्ता की याचना की है वहां से लेकर सड़क सीमा तक अप्रार्थी का मकान बना हुआ है, इसलिए रास्ता होने का प्रश्न ही नही उठता है। वर्तमान खसरा नं. 1412 के खातेदार खेराज पुत्र रामधन जो प्रार्थी के पिता सुरजाराम का सगा भाई के मध्य में आपसी मनमुटाव हो जाने पर प्रार्थी विधिक प्रावधानो की अनदेखी करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 को तंग व परेशान करने की नियत से अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि जो मुख्य राज्य मार्ग पर स्थित होकर करीब 25 लाख प्रतिबीघा की भूमि है में से रास्ता बनाकर अपनी भूमि को करोड़ो रूपये की कीमत की बनाने के लिए वैकल्पिक रास्ता होते हुये भी नये रास्ते की याचना की है। अतः प्रार्थना में वर्णित तथ्य, गलत, आधारहीन होने तथा वैकल्पिक रास्ता आवागमन होने के बावजूद अप्रार्थी को तंग व परेशान की नियत से पेश है किया है, जो खारिज किया जावे।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया साथ ही वकुलाय द्वारा पक्षकारान की ओर से पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। मौका रिपोर्ट दिनांक 02.02.2021 में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 3239/1412 में कृषि कार्य के लिए आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता मौजूद नहीं होने का अंकन है तथा प्रार्थी का रास्ते का अभाव होना अप्रार्थी संख्या 2 से 7 द्वारा बहस में बताया है। इसी प्रकार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी खेत में अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नं. 2839/1413 में से 20 फीट चौड़ाई में प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर पक्का निर्माण होने का भी अंकन मौका रिपोर्ट में है।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 के कथनानुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 7 व खेराज के मूल खेत खसरा नं. 1412 जिसका सम्पूर्ण रकबा 32.03 बीघा में आने जाने के लिए रास्ता खसरा नं. 1413 की पूर्वी माठ के सहारे–2 होकर खसरा नं. 4806/4793 में प्रवेश कर खसरा नं. 4807/4793 की दक्षिणी माठ के सहारे–2 चलकर वर्तमान खसरा नं. 3235/1412 के दक्षिणी–पूर्वी कोने में

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रवेश कर खसरा नं. 1412, 3239/1412 में आवागमन का वर्षो से रहता आया है। इसी प्रकार मूल खसरा नं. 1413 के पूर्वी तरफ वर्तमान में अभिमन्यु स्कूल संचालित हो रही है, जिसके चिपता पश्चिम की तरफ होकर आज दिन भी आवागमन के रूप में बिना किसी बाधा, रूकावट के अन्य खातेदार काश्तकार भी रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग कर रहे है। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रास्ते की भूमि में अप्रार्थी का वर्षो पुराना रहवासी मकान व पानी का टांका भी बना हुआ है, प्रार्थी अप्रार्थी को तंग, परेशान व अप्रार्थी के खेत में रास्ता कायम करवाकर अपनी भूमि की कीमत बढ़ाना चाहता है, प्रार्थी को किसी प्रकार से रास्ते का अभाव नहीं है तथा ना ही प्रार्थी को काश्त करने में समस्या आ रही है। इसी प्रकार द्वारा वैकल्पिक रास्ते के अभाव के संबंध में कोई पुख्ता सबूतादि पेश नहीं किये है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क प्रावधान के अनुसार किसी भी काश्तकार/खातेदार को रास्ता की आत्यान्तिक रास्ता की आवश्यकता होने तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में कटाणी रास्ते से सबसे नजदीकी व कम दूरी के रास्ते के उपभोग में आने भूमि के एवज में डीएलसी दर की दुगुनी प्रतिकर राशि भुगतान पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन, मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 3239/1412 मौजा–जायल, तहसील–जायल में प्रस्तावित नक्शे अनुसार कृषि कार्य के लिए कृषि संसाधनों को लाने व ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता तो प्रतीत होती है परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता की भूमि पर अप्रार्थी का रहवासी मकान व पानी का टांका मौका रिपोर्ट अनुसार निर्मित है तथा मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किये जाने पर उक्त खसरे के 3 तीन टूकड़े यथा (मकान, रास्ता व कृषि भूमि) हो जायेगें। धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशानुसार किसी भी खातेदार काश्तकार को वैकल्पिक रास्ते का अभाव, निकटतम कटाणी रास्ते से रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने पर दिये जाने का प्रावधान है। प्रकरण में प्रस्तावित नजरी नक्शे एवं मौका रिपोर्ट में भिन्नता है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर पक्का निर्माण तथा समीप ही रास्ता 20' फीट चौड़ाई का भी मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया है, तथा प्रार्थी के खातेदारी खेत मे आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते तथा उक्त प्रस्तावित रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता भी प्रतीत होती है। अतः हमारी राय में प्रस्तावित रास्ते की दूरी 152 (लम्बाई) फीट तथा 20 फीट चौड़ाई है तथा अप्रार्थी का खेत का रकबा भी 2839/1413

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

रकबा 0.6880 हैक्टैयर भूमि ही है तथा सीमान्त कृषक की श्रेणी में आता है। इसलिए हम प्रार्थी को अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 2839/1413 रकबा 0.6880 हैक्टेयर में 152 फीट लम्बाई व 20 फीट चौड़ाई के स्थान पर 152 फीट लम्बाई व 13 फीट चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 3239/1412 के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–जायल तहसील–जायल के खसरा नं. 2839/1413 में से प्राप्त भू.अ. निरीक्षक मौका रिपोर्ट (मार्फत तहसीलदार जायल) दिनांक 02.02.2021 के अनुसार ,डोटेट मार्क के अनुसार 13 फीट चौड़ाई व 152 फीट लम्बाई में स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 02.02.2021 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी।

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम जायल तहसील–जायल के खसरा नं. 2839/1412 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29/06/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

29/6/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल